[2018], 13 एस.सी.आर. 822

लाभुजी अमरतजी ठाकोर एवं अन्य।

बनाम गुजरात राज्य एवं आंध्र प्रदेश

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1349) 13 नवंबर, 2018

[ए. केके. सीकरी, अशोक भूषण और अजय रस्तोगी, जे.जे.]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
धारा 319 –शक्ति अन्तर्गत–क्षेत्र–आईपीसी की धारा 363 और 366 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों की सुनवाई करने वाले मामले में अपीलकर्ताओं की सहभागिता का आरोप लगाते हुए धारा 319 के तहत आवेदन – आवेदन खारिज कर दिया गया था – पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने आवेदन की अनुमति दी – अपील पर, अवधारितः धारा 319 के तहत शक्ति विवेकाधीन और असाधारण है, जिसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए – लागू किया जाने वाला परीक्षण वह है जो प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है जैसा कि आरोप तय करते समय प्रयोग किया गया था, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि यदि साक्ष्य का खंडन किया जाता है तो दोषसिद्धि हो सकती है – उच्च न्यायालय ने उपरोक्त परीक्षण का पालन नहीं किया है और न ही धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए कोई ठोस कारण दिया है – गवाहों के साक्ष्य से, अपराध में अपीलकर्ताओं की सहभागिता नहीं बनती है – धारा 319 के तहत आवेदन को ट्रायल कोर्ट द्वारा सही तरीके से खारिज कर दिया गया था।

अपील को स्वीकार करते हुए

, अदालत ने कहाः सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अदालत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है, जो उसके समक्ष किसी मामले में आरोपी नहीं है। जिस व्यक्ति के खिलाफ अदालत आगे बढ़ने का फैसला करती है, ''वह व्यक्ति होना चाहिए जिसकी सहभागिता का संकेत दिया जा सकता है और अपराध के साथ जुड़ा हुआ है''। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है, जिसका उपयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं। [पैरा 7 और 9], [826–डी–ई, 827–डी]

2. उच्च न्यायालय इस बात से भी कोई संतुष्टि दर्ज नहीं करता है कि पीड़िता और उसकी मां के बयान से पता चला है कि पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य, अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध का मामला भी बनाते हैं। केवल यह तथ्य कि न्यायालय

के पास सीआरपीसी की धारा 319 के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति है, जिसका नाम एफआईआर या चार्जशीट में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि जब भी अदालत के समक्ष दर्ज किए गए बयान में किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, तो अदालत को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत यांत्रिक रूप से प्रक्रिया जारी करनी होगी। न्यायालय को उसके समक्ष आए साक्ष्य के सार पर विचार करना होगा, अर्थात आरोप तय करते समय प्रथम दृष्टया मामले से अधिक, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि हो सकती है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त परीक्षण का पालन नहीं किया है और न ही सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई ठोस कारण दिए हैं। पीड़िता की मां (पीडब्ल्यू 3) का बयान एक सुना–सुनाया कथन था और अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। पीडब्ल्यू 4 ने अपने बयान में अपराध में अपीलकर्ताओं की सहभागिता का आरोप भी नहीं लगाया है। केवल यह तथ्य कि जिस जीप में उसे ले जाया गया था, अपीलकर्ता भी मौजूद थे, उसे अपराध में अपीलकर्ताओं की सहभागिता का कोई आरोप नहीं माना जा सकता है। आवेदन को खारिज करते हुए निचली अदालत की टिप्पणियों को यह कहते हुए कि आवेदन दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किया गया प्रतीत होता है, उच्च न्यायालय द्वारा भी नहीं देखा गया है। उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने में त्रुटि की है।[पैरा 12 और 13], [828–जी–एच 829–ए–एफ],

3. वर्तमान मामले में, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 और 4 में उल्लिखित अपराध के रूप में अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए किसी भी कार्य का सुझाव भी नहीं है। इस प्रकार, 2012 अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई अवसर नहीं था। [पैरा 10], [828–डी]

हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2014) 3

एससीसी 92: [2014] 2 एससीआर 1 – संदर्भित।

संदर्भ वाद विधि [2014] 2 एससीआर 1 पैरा 3 संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील 2018 का सं0 1389।

2017 के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 277 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश दिनांकित 30.04.2018 से। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 13 एस.सी.आर.

डी.एन. रे, दिलीप कुमार नायक, सुश्री दिशा रे, श्रीमती सुमिता रे, अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता। उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्ता सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री विशाखा। न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण, जे. द्वारा सुनाया गया था। 1. अपीलकर्ताओं द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 30.04.2018 के फैसले को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की गई है, जिसके द्वारा शिकायतकर्ता–प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर निर्णय आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के दिनांक 01.12.2016 के आदेश को रद्द करके अनुमति दी गई है, जिन्होंने विशेष पॉक्सो केस नंबर 10/2016 में अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। 2. पत्रावली पर मौजूद सामग्री से सामने आए मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः – 2.1 शिकायतकर्ता–प्रतिवादी नंबर 2 ने 27.05.2015 को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 (इसके बाद ''आईपीसी'' के रूप में संदर्भित) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। वर्ष 2012 (इसके बाद ''पॉक्सो अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) कि उनकी 14 वर्षीय बेटी पार्वती का 26.05.2015 की रात और 27.05.2015 की सुबह के समय नाटूजी बाचुजी ठाकोर द्वारा अपहरण कर लिया गया था। आगे यह आरोप लगाया गया कि नाटूजी बाचूजी ठाकोर मेरी बेटी से मिलने आते थे और उन्होंने उसे एक मोबाइल फोन दिया है, जिसके बारे में जानने के बाद, शिकायतकर्ता ने नाटूजी को चेतावनी दी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, पुलिस ने जांच की और आरोपी नाटूजी बाचूजी ठाकोर के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 और 366 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप पत्र दायर किया। पुलिस द्वारा पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया था, जिसने अपने बयान में अकेले नाटूजी का नाम लिया था। विशेष पॉक्सो केस नंबर 10/2016 दर्ज किया गया और आरोपी के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ। पीड़िता की मां पीडब्ल्यू 3 कंचनबेन का बयान दर्ज किया गया। पीड़िता का बयान भी पीडब्ल्यू 4 के रूप में दर्ज किया गया था। 2.2 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 (इसके बाद ''सीआरपीसी'' के रूप में संदर्भित) के तहत एक आवेदन अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा दायर किया गया था, जहां यह कहा गया था कि पीडिता पीडब्ल्यू 4 के बयान में उसने लाभुजी, शशिकांत और जीतूजी का भी नाम लिया है, जो पीड़िता को जीप में मोरबी ले गए थे। अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करके आगे बढ़ने का अनुरोध किया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा आवेदन का विरोध किया गया था। आपत्ति में कहा गया था कि 03.07.2015 को पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान में, यानी कथित घटना के तुरंत बाद, उसने अपने लंबे बयान में कहीं भी अपीलकर्ताओं का नाम नहीं लिया है और यह केवल बयान में था, जो 18.06.2016 को एक वर्ष से अधिक समय के बाद अदालत में दर्ज किया गया था। आरोपी नाटूजी के साथ आरोपी के दोस्त भी थे।

2.3 विद्वान पॉक्सो न्यायाधीश ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया।

पॉक्सो न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि

दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपीलकर्ताओं के नामों का खुलासा किया गया है।

शिकायतकर्ता ने आवेदन को खारिज करते हुए 01.12.2016 के आदेश के खिलाफ एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया, जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.04.2018 के आक्षेपित फैसले द्वारा अनुमति दी है। उक्त फैसले से व्यथित, अपीलकर्ता इस अपील में आए हैं।

3. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए कोई वैध कारण नहीं होने के बिना उच्च न्यायालय ने धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन को खारिज करने के पॉक्सो न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं था जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह भी पाया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने भी अपराध किया था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के फैसले में हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2014) 3 एससीसी 92 में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर विचार नहीं किया गया है।

4. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता की दलीलों का खंडन करते हुए प्रतिवादी की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं का नाम पीड़िता द्वारा अदालत के समक्ष अपने बयान के साथ–साथ पीड़िता की मां के बयान में भी लिया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पॉक्सो न्यायाधीश के आदेश को उलटने और अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अदालत को निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों पर विचार किया और पत्रावली का परिशीलन किया है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 13 एस.सी.आर.

6. सीआरपीसी की धारा 319 में प्रावधान है कि जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि आरोपी न होने के नाते किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जिसके लिए आरोपी के साथ मिलकर ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है। इस प्रकार, किसी भी साक्ष्य के आधार पर मुकदमे के दौरान न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है, जिसका नाम एफआईआर या चार्जशीट में भी

शामिल नहीं था। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग के मापदंडों को इस न्यायालय द्वारा बार–बार समझाया गया है। हरदीप सिंह (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख करना पर्याप्त है, जहां इस न्यायालय ने अन्य मुद्दों के बीच निम्नलिखित मुद्दे पर विचार किया था–

6.4. (IV) किसी अभियुक्त को आरोपित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित संतुष्टि की प्रकृति क्या है? क्या सीआरपीसी की धारा 319 (1) के तहत शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अदालत संतुष्ट हो कि आरोपी को दोषी ठहराया जाएगा?

7. उपरोक्त फैसले में संविधान पीठ के फैसले में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अदालत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है, जो उसके समक्ष किसी मामले में आरोपी नहीं है। हालांकि, संविधान पीठ ने कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अदालत आगे बढ़ने का फैसला करती है, ''उसे एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी संलिप्तता का संकेत दिया जा सकता है और अपराध के साथ जुड़ा हुआ है''।

8. विवाद्क संख्या 10 का उत्तर। (IV) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्णय के पैरा संख्या 105 और 106 में, संविधान पीठ द्वारा निम्नलिखित निर्धारित किया गया था –

105. सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं। इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल तभी जब अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस साक्ष्य उत्पन्न होते हैं कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए न कि अनौपचारिक और लापरवाह तरीके से।

106. इस प्रकार, हम मानते हैं कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिरह के आधार पर परीक्षण किया गया, इसके लिए उसकी सहभागिता की संभावना की तुलना में बहुत मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है। जिस परीक्षण को लागू किया जाना है, वह प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है जैसा कि आरोप तय करते समय प्रयोग किया गया था, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, यदि खारिज हो जाते हैं, तो दोषसिद्धि का कारण बनेंगे। इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, अदालत को धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सीआरपीसी की

धारा 319 में यह प्रावधान करने का उद्देश्य है कि ''साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि आरोपी नहीं होने के नाते किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है'' शब्दों से स्पष्ट है ''जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है''। इस्तेमाल किए गए शब्द ''जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है'' नहीं हैं। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 319 के तहत काम करने वाली अदालत के लिए आरोपी के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

9. संविधान पीठ ने चेतावनी दी है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है, जिसका उपयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि ''जो परीक्षण लागू किया जाना है, वह प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है जैसा कि आरोप तय करते समय प्रयोग किया गया था, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, यदि खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि का कारण बन जाएगा।
वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है, जहां ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता एफआईआर में अपीलकर्ताओं के नाम नहीं लिए हैं और जांच के बाद जिसमें पीड़ित का बयान भी दर्ज किया गया था, अपीलकर्ताओं के नाम नहीं आए। जांच के बाद, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलकर्ताओं के नामों का भी आरोपी के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था। पुलिस के सामने दर्ज कराए गए बयान में पीड़िता ने सिर्फ नाटूजी का नाम लिया है जिसके साथ उसने शारीरिक संबंध होने की बात स्वीकार की थी और उसे कौन ले गया था और जिसके साथ वह रात में घर से बाहर गई थी और उसके साथ कई जगहों पर रहती थी। पीड़िता की मां ने अदालत के समक्ष अपने बयान में कहा है कि पीड़ित लड़की डेढ़ महीने बाद घर लौटी है। अदालत के समक्ष दिए गए बयान में पीड़िता ने पूरे घ टनाक्रम के बारे में बताया है। उसने अपने बयान में कहा है कि आरोपी नाटूजी उसके चाचा विष्णुजी के घर जाया करता था, जहां उसकी मुलाकात नाटूजी से हुई। हालांकि, उसने कहा कि वह नाटूजी थे, जिन्होंने उन्हें मोबाइल फोन दिया था। उसके माता–पिता को नाटूजी द्वारा उसे मोबाइल फोन दिए जाने के बारे में पता चला। वे नाटूजी के घर गए और नाटूजी को धमकी दी। एक महीने के बाद, नाटूजी ने पीड़ित को एक और मोबाइल फोन दिया, जिसने इसे लिया था। उसने बताया कि रात 12 बजे नाटूजी अपने तीन दोस्तों के साथ उसे मोरबी एक जीप में ले गया था। उसने आगे कहा कि वह और नाटूजी उक्त स्थान पर तीन दिनों तक रहे और नाटूजी ने उक्त स्थान पर उसके साथ संभोग किया। जब नाटूजी को शिकायत दर्ज कराने के बारे में पता चला, तो वह उसे जीप में मोडासा ले गए। जीप लाभुजी ने दी थी और अन्य दो अपीलकर्ता भी जीप में थे। उसने आगे कहा कि लाभुजी, शशिकांत और जीतूजी जीप में आए और उसे और नाटूजी को पुलिस स्टेशन ले गए, जहां पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसने अपना बयान दर्ज किया। नाटूजी पर आईपीसी की

धारा 363 और 366 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018], 13 एस.सी.आर.

10. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए किसी भी कार्य का सुझाव भी नहीं है, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 में संदर्भित अपराध है। इस प्रकार, पॉक्सो अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई अवसर नहीं था।

11. अब, हम उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति देने और पॉक्सो न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने में दिए गए कारणों पर वापस आते हैं। उच्च न्यायालय का निर्णय चार पैराग्राफ में है और संशोधन की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एकमात्र कारण पैराग्राफ नंबर 3 में निहित है, जो निम्नलिखित प्रभाव का हैः

3. ''पीड़िता के साथ–साथ उसकी मां के बयानों को देखने पर, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से कुछ व्यवहार और भागीदारी स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। लेकिन, यह न्यायालय किसी भी तरह से राय देने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि उक्त तथ्य उनके बयानों को दर्ज करते समय पुलिस के सामने नहीं बताया गया था। लेकिन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय उन्हें तलब करना और उन पर मुकदमा चलाना उचित समझता है...''

12. उच्च न्यायालय इस बात पर भी संतोष व्यक्त नहीं करता है कि पीड़िता और उसकी मां के बयान से पता चला है कि पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध का मामला भी बनाते हैं। केवल तथ्य यह है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति है, जिसका नाम एफआईआर या चार्जशीट में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि जब भी अदालत के समक्ष दर्ज किए गए बयान में, किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, तो अदालत को यांत्रिक रूप से सीआरपीसी की धारा 319 के तहत प्रक्रिया जारी करनी होगी। न्यायालय को उसके समक्ष आए और संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सबूतों के सार पर विचार करना होगा, हरदीप सिंह (उपरोक्त) का परीक्षण लागू करना होगा, अर्थात आरोप तय करते समय प्रथम दृष्टया मामले से अधिक, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि साक्ष्य, अगर इसका खंडन नहीं किया जाता है, तो यह दृढ़ विश्वास का कारण बन जाएगा। हालांकि, उच्च न्यायालय ने संविधान पीठ द्वारा निर्धारित परीक्षण पर ध्यान नहीं दिया है और न ही धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए कोई ठोस कारण दिया है, लेकिन हमारी संतुष्टि के लिए, हमने सबूतों को देखा है, जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष पीडब्ल्यू 3 और पीडब्ल्यू 4 के बयानों के रूप में पत्रावली पर आए हैं। पीडब्ल्यू 3 पीड़िता की मां है, जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी बेटी ने सूचित किया है

कि उसे अपीलकर्ताओं और नाटूजी द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जो उसे लाभुजी के वाहन में मोरबी ले गए थे। पीड़िता की मां का बयान एक सुना–सुनाया कथन था और अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अब, पीड़ित, पीडब्ल्यू 4 के बयान पर आते हुए, उसने केवल यह कहा है कि नाटूजी, आरोपी अपने तीन दोस्तों, यानी अपीलकर्ताओं के साथ आया था और उसे जीप में मोरबी ले जाया गया था। वह अपराध में अपीलकर्ताओं की सहभागिता का आरोप भी नहीं लगाती है। उसका आगे का बयान यह था कि उसे लाभुजी द्वारा संचालित जीप में मोरबी ले जाया गया था और बाद में उसे लाभुजी की जीप में मोरबी से मोडासा ले जाया गया था, जो अपीलकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं कर सका। केवल यह तथ्य कि जिस जीप में उसे मोडासा ले जाया गया था, अपीलकर्ता भी मौजूद थे, उसे अपराध में अपीलकर्ताओं की सहभागिता का कोई आरोप नहीं माना जा सकता है। आवेदन को खारिज करते हुए निचली अदालत की टिप्पणियों को यह कहते हुए कि आवेदन दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किया गया प्रतीत होता है, उच्च न्यायालय द्वारा भी नहीं देखा गया है।

13. इस प्रकार, हमारा सुविचारित मत है कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने में त्रुटि की है। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन को अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए हैं। उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय अनुचित है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी

(विजय शंकर गौतम)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बाह्य न्यायालय बहेड़ी, जनपद बरेली।